

कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी (म.प्र.)

// कार्य विभाजन आदेश //

वर्ष-2026

क्रमांक- ७३ / एक-11-1/2009,

डिण्डौरी, दिनांक 07/01/2026

मैं श्रीमति शशिकान्ता वैश्य, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी, मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 214, 422 तथा 441 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, वर्ष 2026 हेतु सिविल जिला डिण्डौरी में पदस्थ समस्त न्यायाधीशों/न्यायालयों के बीच सिविल कार्यों एवं उच्च न्यायिक सेवा के न्यायाधीशों के बीच दांडिक कार्यों का भी वितरण/ विभाजन एवं क्षेत्राधिकार निम्नानुसार निर्धारित करती हूँ :-

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर आगामी कार्य विभाजन आदेश पारित होने तक प्रभावशील होगा और पूर्व से लंबित कार्यवाहियों व प्रकरणों को प्रभावित नहीं करेगा।

“खण्ड – अ”

“सिविल न्यायालय कार्य विभाजन”

स. क.	न्यायालय का नाम व स्थान	क्षेत्राधिकार	प्रकरण का प्रकार, जिनकी सुनवाई कर निराकरण किया जाना है
1	2	3	4
1	प्रधान जिला न्यायाधीश, डिण्डौरी	सिविल जिला डिण्डौरी (कुटुम्ब न्यायालय डिण्डौरी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न प्रकरणों को छोड़कर)	1) ₹1,00,00,001/- (एक करोड़ एक रुपये) एवं उससे अधिक मूल्योंकन के समस्त व्यवहार वाद। 2) समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/कनिष्ठ खण्ड डिण्डौरी/शहपुरा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से उद्भूत होने वाली समस्त विविध अपीलें। 3) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डिण्डौरी एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शहपुरा के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शहपुरा के द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से उद्भूत होने वाली समस्त नियमित सिविल अपीलें। 4) कुटुम्ब न्यायालय डिण्डौरी के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर उसी प्रकृति के सभी दीवानी प्रकरण जिनका क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय को है। 5) भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से उद्भूत अपीलें। 6) मध्यप्रदेश लोक फण्ड ऑडिट एक्ट 1933 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र। 7) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के आदेशों के विरुद्ध प्रकरण।

			8) धारा 24 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र। 9) अन्य विधियों के अंतर्गत प्रस्तुत अन्य ऐसे सभी प्रकरण, अपीलें एवं आवेदन पत्र जिसमें प्रधान जिला न्यायाधीश को मूल रूप से सुनवायी का विशेष क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है तथा अन्य ऐसे प्रकरण जिनका उल्लेख कार्यविभाजन आदेश में अन्यत्र उल्लेखित नहीं हैं। 10) वाणिज्यिक न्यायालय से सम्बंधित प्रकरण। 11) रेंट कंट्रोल अथोरिटी के निर्णय के विरुद्ध उत्पन्न अपीलें। 12) पेमेन्ट ऑफ वेजेज एक्ट, 1936 की धारा 17 के अधीन अपीलें। 13) किसी भी अन्य केन्द्रीय अथवा स्थानीय अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेशों के विरुद्ध प्रधान जिला न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत होने वाली अपीलें। 14) पब्लिक प्रिमाइसेस इन्विकशन एक्ट 1971 के प्रकरण 15) म0प्र0शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के अधिसूचना क्रमांक 4779/2022/इक्कीस-ब (एक) /2022 भोपाल दिनांक 15.12.2022 के अनुपालन में विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के बारे में क्षेत्राधिकार का प्रयोग तथा दावों का विचारण। 16) अन्य व्यवहार प्रकरण व कार्यवाहियाँ, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है, और जो जिला न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य है।
2.	प्रथम जिला न्यायाधीश, डिण्डौरी	सिविल जिला डिण्डौरी	1. संपूर्ण सिविल जिला डिण्डौरी से उद्भूत म0प्र0 नगरपालिका एवं पंचायत अधिनियम 1961 के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित सभी प्रकार के प्रकरण। 3. मध्यप्रदेश न.पा. अधिनियम 1961 की धारा 20 के अन्तर्गत चुनाव याचिका। 4. स्वयं के न्यायालय द्वारा सिविल प्रकरणों में पारित निर्णयों एवं आदेशों से उद्भूत होने वाले विविध वाद, निष्पादन प्रकरण तथा अन्य समस्त विविध कार्यवाहियाँ।

			5. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदारिता अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत राजस्व तहसील डिण्डौरी, बजाग व शहपुरा में आरंभिक अधिकारिता के सिविल न्यायालय द्वारा लिये जाने योग्य प्रकरण। 6. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शहपुरा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड डिण्डौरी, एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शहपुरा तथा पूर्व के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड डिण्डौरी एवं समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीशों के द्वारा पारित आदेश तथा निर्णय एवं डिक्री से उद्भूत होने वाली समस्त सिविल नियमित अपीलें।
3.	द्वितीय जिला न्यायाधीश डिण्डौरी	सिविल जिला डिण्डौरी	1. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, डिण्डौरी द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत पारित निर्णय एवं डिक्री से उद्भूत होने वाले समस्त सिविल नियमित एवं विविध अपीलें। 2. अन्य जिलों से प्राप्त इजराय एवं विविध प्रकरणों पर कार्यवाहियाँ। 3. प्रथम/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड डिण्डौरी के द्वारा पारित आदेश तथा निर्णय एवं डिक्री से उद्भूत होने वाली समस्त सिविल नियमित अपीलें। 4. स्वयं के न्यायालय द्वारा सिविल प्रकरणों में पारित निर्णयों एवं आदेशों से उद्भूत होने वाले विविध वाद, निष्पादन प्रकरण तथा अन्य समस्त विविध कार्यवाहियाँ। 5. धारा 9, 34 मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
4.	तृतीय जिला न्यायाधीश डिण्डौरी	सिविल जिला डिण्डौरी	1. स्वयं के न्यायालय द्वारा सिविल प्रकरणों में पारित निर्णयों एवं आदेशों से उद्भूत होने वाले विविध वाद, निष्पादन प्रकरण तथा अन्य समस्त विविध कार्यवाहियाँ। 2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डिण्डौरी एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डिण्डौरी के प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डिण्डौरी के द्वारा पारित आदेश तथा निर्णय एवं डिक्री से उद्भूत होने वाली समस्त सिविल नियमित अपीलें। 3. समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा स्थानांतरित किये गये सिविल प्रकरण।

एल0जे0एस0			
5.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डिण्डौरी	राजस्व तहसील डिण्डौरी, बजाग	1. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग 10 के अंतर्गत समस्त प्रकरण। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण। 3. ऐसे नियमित सिविल वाद जिनका मूल्यांकन ₹50,00,001/- से अधिक होकर ₹1,00,00,000/- रुपये तक हो। 4. मध्यप्रदेश न.पा./पंचायत अधिनियम की धारा 139, 172 के अन्तर्गत अपीलें। 5. लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन ₹200/- रुपये से अधिक एवं ₹500/- (₹201 से ₹500 तक) रुपये से अधिक न हो। 6. स्वयं के न्यायालय द्वारा निराकृत सिविलवादों से उद्भूत (व्य0न्या0क0खण्ड द्वारा विचारणीय छोड़कर) निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियां। 7. अन्य जिलों एवं राज्यों से अंतरण पर प्राप्त प्रकरणों की निष्पादन कार्यवाहियाँ, जो व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के निर्णय आदेश या डिक्री से उद्भूत हुई हों।
6.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डिण्डौरी	राजस्व तहसील डिण्डौरी, बजाग	1. ऐसे नियमित सिविल वाद जिनका मूल्यांकन ₹25,00,001/-से अधिक होकर ₹50,00,000/- रुपये तक हो। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण। 3. स्वयं के न्यायालय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड डिण्डौरी (रिक्त न्यायालय) तथा पूर्व के अति0 व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड डिण्डौरी एवं पूर्व के समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीश द्वारा निराकृत सिविलवादों से उद्भूत निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियां। 4. अन्य जिलों एवं राज्यों से अंतरण पर प्राप्त प्रकरणों की निष्पादन कार्यवाहियाँ, जो व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के निर्णय आदेश या डिक्री से उद्भूत हुई हों।

7.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डिण्डौरी के प्रथम अति. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डिण्डौरी	राजस्व तहसील डिण्डौरी, बजाग	1. ऐसे नियमित सिविल वाद जिनका मूल्यांकन ₹5,00,001/-से अधिक होकर ₹25,00,000/- रूपये तक हो। 2. स्वयं के न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल वादों से उद्भूत निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियाँ। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण।
8.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शहपुरा, जिला डिण्डौरी	राजस्व तहसील शहपुरा	1. राजस्व तहसील शहपुरा से उद्भूत होने वाले नियमित सिविल वाद जिनका मूल्यांकन ₹5,00,000/- से अधिक न हो (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर) 2. मध्यप्रदेश न.पा./पंचायत अधिनियम की धारा 139, 172 के अन्तर्गत अपीलें। 3. राजस्व तहसील शहपुरा से उद्भूत होने वाले समस्त लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन ₹500/- रूपये से अधिक न हो। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण। 5. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शहपुरा एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शहपुरा (पूर्व के न्यायालय) के न्यायालय से निराकृत सिविल वादों से उद्भूत निष्पादन एवं अन्य विधिक कार्यवाहियाँ।
9.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शहपुरा के अतिरिक्त न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शहपुरा	राजस्व तहसील शहपुरा	1. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग 10 के अंतर्गत समस्त प्रकरण। 2. राजस्व तहसील शहपुरा से उद्भूत होने वाले नियमित सिविल वाद जिनका मूल्यांकन ₹5,00,001/- से ₹1,00,00,000/- तक एवं इससे अधिक न हो (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर) 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण। 4. स्वयं के न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल वादों से उद्भूत निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियाँ।

10.	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, डिण्डौरी	जनपद पंचायत डिण्डौरी (नगर पंचायत डिण्डौरी के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर)	ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 से संबंधित निम्नलिखित सिविल प्रकृति के वाद (क) सिविल वाद :- 1. संपत्ति क्रय करने का अधिकार 2. आम चारागाहों का उपयोग 3. सिंचाई सरणियों से जल लेने का विनियमन और समय (ख) संपत्ति विवाद :- 1. ग्राम और फार्म हाउस (कब्जा) 2. जलसरणिया 3. कुएं या नलकूप से जल लेने का अधिकार (ग) अन्य विवाद :- 1. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) के अधीन दावे। 2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन दावे। 3. व्यापार संव्यवहार या साहूकारी से उद्भूत धन संबंधी वाद। 4. भूमि और कृषि में भागीदारी से उद्भूत विवाद। 5. ग्राम पंचायतों के निवासियों द्वारा वन उपज के उपयोग के संबंध में विवाद। 6. समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल वाद/निष्पादन वाद एवं विविध वाद प्रकरणों का निराकरण करना।
11.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड डिण्डौरी	राजस्व तहसील डिण्डौरी	1. राजस्व तहसील डिण्डौरी से उद्भूत होने वाले नियमित सिविल वाद जिनका मूल्यांकन ₹5,00,000/- रुपये से अधिक न हो। (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर) 2. राजस्व तहसील डिण्डौरी से उद्भूत होने वाले समस्त लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन ₹200/- रुपये तक हो। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन ₹5,00,000/- रुपये से अधिक न हो। 4. स्वयं के न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल वादों से उद्भूत निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियाँ।

12.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड डिण्डौरी	राजस्व तहसील बजाग	1. राजस्व तहसील बजाग से उद्भूत होने वाले नियमित सिविल वाद जिनका मूल्यांकन ₹5,00,000/- रुपये से अधिक न हो। (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर) 2. राजस्व तहसील बजाग से उद्भूत होने वाले समस्त लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन ₹200/- रुपये तक हो। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन ₹5,00,000/- रुपये से अधिक न हो। 4. स्वयं के न्यायालय के द्वारा निराकृत सिविल वादों से उद्भूत निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियां।
-----	---	-------------------------	--

“खण्ड – ब”

“सत्र न्यायालय क्षेत्राधिकार”

स. क.	न्यायालय का नाम व स्थान	क्षेत्राधिकार	प्रकरण का प्रकार, जिनकी सुनवाई कर निराकरण किया जाना है
1	2	3	4
1	प्रधान सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी / विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989	सत्र खण्ड डिण्डौरी	1. सत्र एवं विशेष प्रकरण, जो कि संबंधित अधिनियम के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश के अथवा विशेष न्यायाधीश के रूप में विचाराधीन हो। 2. डिण्डौरी सत्र खण्ड से उत्पन्न होने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं जमानत याचिकाएँ। 3. धारा 448 एवं 449 भा0ना0सु0सं0 के तहत प्रस्तुत अंतरण आवेदन। 4. धारा 482 एवं 483 भा0ना0सु0सं0 से संबंधित समस्त नियमित जमानत/अग्रिम जमानत याचिकाएँ। 5. जिला मुख्यालय डिण्डौरी एवं तहसील मुख्यालय शहपुरा में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न आपराधिक अपीलें, विविध अपीलें एवं पुनरीक्षण आवेदन। 6. आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा आवंटित प्रकरण। 7. विविध आपराधिक प्रकरण। 8. ग्राम पंचायत अधिनियम 2008 के अंतर्गत न्यायाधिकारी

			ग्राम न्यायालय, डिण्डौरी द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न आपराधिक अपीलें। 9. आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपीलें 10. आपराधिक विविध (संशोधन) अधिनियम के विशेष प्रकरणों का प्रस्तुतिकरण एवं उच्च न्यायालय द्वारा आवंटित ऐसे प्रकरणों का निराकरण। 11. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण। 12. म.प्र.शासन विधि और विधायी कार्य विभाग अधिसूचना क्रमांक 17 (ई)47/2017/21-ब (एक) 4869/2017 दि. 08.12.2017 के आलोक में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अधीन प्रकरण। 13. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत प्रकरण। 14. तहसील डिण्डौरी, शहपुरा एवं बजाग अनुविभागीय दंडाधिकारी के आदेशों के विरुद्ध प्रकृति के रिवीजन व अन्य कार्यवाहियाँ। 15. विशेष प्रकरण (पी0सी0 एक्ट 1988) के पीठासीन अधिकारी के अवकाश अवधि/न्याया0 रिक्त होने पर विशेष न्याया0 में प्रस्तुत/लंबित तत्काल आवेदन पत्रों का निराकरण। 16. अन्य समस्त ऐसे प्रकरण व कार्यवाहियाँ, जो कि अनन्यतः सत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार के हैं, तथा जिनके विचारण या सुनवाई के लिये अन्य किसी न्यायाधीश या न्यायालय को पृथक् से शक्तियाँ वेष्टित नहीं की गई हैं, एवं जिनका उल्लेख इस कार्यविभाजन पत्रक में नहीं है।
2.	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी	सत्र खण्ड डिण्डौरी	1. डिण्डौरी सत्र खण्ड से उत्पन्न होने वाले एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 के अंतर्गत लघु मात्रा से सम्बंधित प्रकरणों को छोड़कर शेष समस्त प्रकरण जिनकी सुनवाई क्षेत्राधिकार विशेष न्यायालय को दिया गया है, एवं उन मामलों से संबंधित रिमांड और जमानत से सम्बंधित कार्यवाहियाँ। 2. डिण्डौरी सत्र खण्ड से उत्पन्न होने वाले EOW तथा विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त), द्वारा प्रस्तुत होने वाले प्रकरण जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988

			से संबंधित हैं, जिनके अंतर्गत जमानत याचिकाएँ भी शामिल हैं। 3. सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, अपीलें, पुनरीक्षण, जमानत याचिकाएँ। 4. राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम 2008 के अंतर्गत डिण्डौरी सत्र खण्ड से उत्पन्न प्रकरणों का विचारण। 5. स्वयं के न्यायालय से उत्पन्न विविध आपराधिक प्रकरण। 6. न्यायालय अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी के न्यायालय से उत्पन्न विविध आपराधिक प्रकरण। 7. म.प्र.शासन विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 1/3/2004/4823/2019 /21-ब(1) दि. 14.10.2019 एवं माननीय उच्च न्यायालय म. प्र. के पृष्ठा. क्रमांक बी/5194/तीन- 6-3/03 दि. 17.10.2019 के अनुसार डिण्डौरी सत्र खण्ड से उत्पन्न म0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 से सम्बंधित सभी मामलों के विचारण एवं अन्य कार्यवाहियाँ। 8. विशेष प्रकरण (<u>पॉक्सो एक्ट 2012</u>) के पीठासीन अधिकारी के <u>अवकाश अवधि/न्याया0 रिक्त होने पर</u> विशेष न्याया0 में प्रस्तुत/लंबित तत्काल आवेदन पत्रों का निराकरण।
3.	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी	सत्र खण्ड डिण्डौरी	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण तथा जमानत आवेदन पत्र। 2. न्याया0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी के द्वारा आपराधिक प्रकरणों में पारित निर्णयों एवं आदेशों से उद्भूत होने वाली समस्त विविध कार्यवाहियाँ। 3. डिण्डौरी सत्र खण्ड से उत्पन्न होने वाले <u>विद्युत अधिनियम 2003</u> के अंतर्गत समस्त प्रकरणों के विचारण। 4. विशेष सत्र प्रकरण एन.डी.पी.एस. एक्ट के पीठासीन अधिकारी के <u>अवकाश अवधि/न्याया0 रिक्त होने पर</u> विशेष न्याया0 में प्रस्तुत/लंबित तत्काल आवेदन पत्रों का निराकरण।

4.	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी	सत्र खण्ड डिण्डौरी	1. डिण्डौरी सत्र खण्ड से उत्पन्न होने वाले पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत समस्त प्रकरणों का विचारण एवं जमानत याचिकाएँ। 2. स्वयं के न्यायालय से उत्पन्न विविध आपराधिक प्रकरण। 3. अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत पदांकित विशेष न्यायाधीश के अवकाश अवधि/न्यायालय रिक्त होने पर विशेष न्यायालय में प्रस्तुत/लंबित तत्काल आवेदन पत्रों का निराकरण। 4. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, अपीलें, पुनरीक्षण, जमानत याचिकाएँ। 5. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड डिण्डौरी के निर्णयों/आदेशों के विरुद्ध धारा 101(1) के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक अपीलें।
----	---	-----------------------	---


 PRINCIPAL DISTRICT & SESSION JUDGE
 (BINDORI (M.P.))

“खण्ड – स”

“मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण”

स.क.	न्यायालय का नाम व स्थान	क्षेत्राधिकार एवं प्रकरण का प्रकार, जिनकी सुनवाई कर निराकरण किया जाना है
1	2	3
1.	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, डिण्डौरी	1. जिले के पुलिस थाना डिण्डौरी, करंजिया से उद्भूत होने वाले मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत दुर्घटना से सम्बंधित समस्त क्षतिपूर्ति प्रकरण। 2. सदस्य मो०या०दु०दा०अधि० डिण्डौरी (इसी अधिकरण) द्वारा क्लेम प्रकरणों में पारित अवार्ड/आदेश से उद्भूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 3. मान्नीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील क्रमांक 9322/2022 में पारित आदेश के अनुक्रम में मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत उपरोक्त उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न समस्त दुर्घटना सूचना प्रतिवेदन (FAR, IAR, DAR) 4. अन्य जिलों में घटित दुर्घटना से संबंधित क्षतिपूर्ति प्रकरणों का विचारण।
2.	प्रथम अतिरिक्त सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, डिण्डौरी	1. जिले के पुलिस थाना-बजाग एवं मेहंदवानी से उद्भूत होने वाले मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत समस्त क्षतिपूर्तिदावा से सम्बंधित प्रकरण। 2. प्रथम अपर (अतिरिक्त) सदस्य मो०या०दु०दा०अधि० डिण्डौरी द्वारा क्लेम प्रकरणों में पारित अवार्ड/आदेश से उद्भूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 3. अन्य ऐसे समस्त अपर (अतिरिक्त) सदस्य मो०या०दु०दा०अधि० डिण्डौरी द्वारा क्लेम प्रकरणों में पारित अवार्ड/आदेश से उद्भूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ, जिनका उल्लेख व क्षेत्राधिकार इस कार्यविभाजन पत्रक में किसी अधिकरण को प्रदान नहीं किया गया है। 4. मान्नीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील क्रमांक 9322/2022 में पारित आदेश के अनुक्रम में मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत उपरोक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न समस्त दुर्घटना सूचना प्रतिवेदन (FAR, IAR, DAR) 5. समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा स्थानांतरित किये गये मोटरयान दुर्घटना दावा प्रकरण।

3. द्वितीय अतिरिक्त सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, डिण्डौरी	1. जिले के पुलिस थाना शाहपुर एवं गाड़ासरई से उद्भूत होने वाले मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत समस्त क्षतिपूर्तिदावा से सम्बंधित प्रकरण। 2. माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील क्रमांक 9322/2022 में पारित आदेश के अनुक्रम में मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत उपरोक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न समस्त दुर्घटना सूचना प्रतिवेदन (FAR, IAR, DAR) 3. द्वितीय अपर (अतिरिक्त) सदस्य मो0या0दु0 दा0अधि0 डिण्डौरी द्वारा क्लेम प्रकरणों में पारित अवार्ड/आदेश से उद्भूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 4. समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा स्थानांतरित किये गये मोटरयान दुर्घटना दावा प्रकरण। 5. म.प्र.शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के अधिसूचना फा.क. 3564/इक्कीस-ब (एक)/2024 दि. 02.09.2024 व म.प्र.उच्च न्यायालय के पृष्ठांकन क्रमांक बी/4099 दि. 04.09.2024 के अनुसार कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 (1984 का 66) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से सम्बंधित सिविल प्रकृति केवादों और कार्यवाहियाँ।
4. तृतीय अतिरिक्त सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, डिण्डौरी	1. जिले के पुलिस थाना शहपुरा एवं समनापुर से उद्भूत होने वाले मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत समस्त क्षतिपूर्तिदावा से सम्बंधित प्रकरण। 2. तृतीय अपर (अतिरिक्त) सदस्य मो0या0दु0 दा0अधि0 डिण्डौरी द्वारा क्लेम प्रकरणों में पारित अवार्ड/आदेश से उद्भूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 3. समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा स्थानांतरित किये गये मोटरयान दुर्घटना दावा प्रकरण।


 PRINCIPAL DISTRICT & SESSION JUDGE
 (DINDORI (M.P.))

“खण्ड – द”
“अवकाश प्रभार”

प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय डिण्डौरी के समवर्ती प्रभार पर प्रवास/अवकाश अवधि/न्याया0 रिक्त होने/अनुपस्थित/प्रशिक्षण एवं सिविल जिला डिण्डौरी के अंतर्गत कार्यरत न्यायाधीशों की अनुपस्थिति/अवकाश/प्रशिक्षण/ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवकाश, में उनके न्यायालयों के सिविल एवं दांडिक प्रकरणों से संबंधित शीघ्र सुनवाई के आवेदनों का निराकरण नीचे लिखे न्यायालयों के पीठासीन न्यायाधीश द्वारा सम्पादित किया जावेगा :-

अनुसूची अ

क्र.	न्यायालय का नाम व स्थान	स्तंभ क्रमांक 2 में अंकित पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थिति में आवश्यक कार्य के लिए प्राधिकृत पीठासीन न्यायाधीश	स्तंभ क्रमांक 3 में अंकित पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थिति में आवश्यक कार्य के लिए प्राधिकृत पीठासीन न्यायाधीश
1	2	3	4
1.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी
2.	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, डिण्डौरी	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी
3.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी
4.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी
5.	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी
अनुसूची ब			
6.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, डिण्डौरी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डिण्डौरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, डिण्डौरी के प्रथम अति. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डिण्डौरी
7.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डिण्डौरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, डिण्डौरी के प्रथम अति. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डिण्डौरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, डिण्डौरी
8.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, डिण्डौरी के प्रथम अति. व्यवहार न्यायाधीश डिण्डौरी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डिण्डौरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, डिण्डौरी

9.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, डिण्डौरी	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, डिण्डौरी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डिण्डौरी
10.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, डिण्डौरी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, डिण्डौरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, डिण्डौरी के प्रथम अति. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डिण्डौरी
11.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शहपुरा जिला डिण्डौरी	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शहपुरा के अतिरिक्त न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शहपुरा, जिला डिण्डौरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डिण्डौरी
12.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शहपुरा के अतिरिक्त न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शहपुरा, जिला डिण्डौरी	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शहपुरा जिला डिण्डौरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डिण्डौरी

जमानत आवेदनों के सम्बंध में कार्य व्यवस्था

(1) सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी के अवकाश पर होने की स्थिति में पश्चात्कर्ती (Repeat) जमानत आवेदन, सत्र न्यायालय में पंजीबद्ध होने के उपरांत, जिस विशेष/अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा पूर्व/सर्वप्रथम या पश्चात्कर्ती जमानत आवेदन निराकृत हुआ है, उन्ही न्यायाधीश को अंतरित (Transfer) हुआ माना जावेगा व इसके लिये पृथक से अंतरण आदेश अपेक्षित नहीं होगा।

(2) समान अपराध कमांक के मामले में यदि किसी न्यायालय से एक अभियुक्त के जमानत की सुनवाई की है, तो अन्य अभियुक्तों का जमानत आवेदन भी उसी न्यायालय द्वारा श्रवण किया जायेगा।

(3) सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति या अवकाश की दशा में जमानत आवेदन पेश होने पर (जहां ऊपर वर्णित (2) अनुसार स्थिति न हो) निम्नानुसार दर्शाये जा रहे पुलिस थाने से संबंधित जमानत आवेदन उनके सम्मुख दर्शाये गये अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई हेतु स्वतः अंतरित हो जायेंगे:-

पुलिस थाना क्षेत्र	न्यायालय/न्यायाधीश
कोतवाली (डिण्डौरी), समनापुर	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी
शहपुरा, शाहपुर, मेंहदवानी	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी
करंजिया, गाड़ासरई, बजाग	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी

- (4) उच्च न्यायिक सेवा के न्यायाधीश के अवकाश, टूर (यात्रा) या प्रशिक्षण आदि पर होने की स्थिति में उस न्यायालय के जमानत आवेदन भी प्रभारी न्यायाधीश द्वारा सुने जाकर कार्यवाही की जावेगी।
- (5) सत्र न्यायाधीश के अवकाश या अनुपलब्धता की दशा में, विशेष न्यायालयों में सीधे प्रस्तुत होने वाले धारा 482 व 483 भा.ना.सु.सं. के जमानत आवेदनों को छोड़कर, शेष जमानत आवेदन सत्र न्यायालय में प्रस्तुति व पंजीयन उपरान्त नामांकित न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई हेतु रखे जावेंगे, जो उनके हवाले किये गये (made over) माने जायेंगे।
- (6) उपरोक्तानुसार यदि विशेष/अपर अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से संबंधित जमानत आवेदन प्रभारी न्यायाधीश द्वारा निराकृत किया जावेगा।
- (7) अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 एवं स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 से संबंधित विशेष न्यायाधीश का न्यायालय रिक्त होने की दशा में इन अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत किये गये या लंबित जमानत आवेदनों एवं अन्य त्वरित सुनवाई हेतु प्रस्तुत आवेदनों की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक-सी/2262 एवं सी/2264/तीन-6-3/89 जबलपुर, दिनांक-14/09/2020 के अनुसार वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश एवं उनकी अनुपस्थिति में उत्तरवर्ती एक वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा की जा सकेगी।

नोट

- (1) लोक अदालत के माध्यम से निराकृत सिविल मामलों के निष्पादन संबंधी प्रकरण, उसी न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे, जिस न्यायालय द्वारा वे प्रकरण लोक अदालत को रेफर किये गये थे।
- (2) न्यायालय रिक्त होने के सिवाय, किसी भी आदेश या निर्णय का निष्पादन आवेदन या अनुषांगिक कार्यवाहियां उसी न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे और उन पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी, जिस न्यायालय का वह निर्णय व आदेश है एवं वही न्यायालय अपीलीय न्यायालय के आदेशों/निर्णयों का क्रियान्वयन भी करेगा।
- (3) आवश्यकतानुसार सत्र/विशेष व अन्य प्रकरण सत्र न्यायालय द्वारा ग्रहण किये जाकर संबंधित न्यायालय के हवाले (made over) किये जा सकेंगे।
- (4) अवकाश प्रभार की व्यवस्था के बावजूद भी यदि ऐसी आकस्मिक स्थिति बनती है, कि जिला मुख्यालय पर कोई भी उच्च न्यायिक सेवा का न्यायाधीश उपलब्ध नहीं हैं, तो प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिण्डौरी द्वारा व उनकी अनुपलब्धता पर उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट द्वारा औपचारिक व आवश्यक कार्यों का संपादन किया जावेगा।
- (5) उक्त कार्य विभाजन पत्रक कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से सम्बंधित सिविल प्रकृति केवादों और कार्यवाहियों के विचारण को छोड़कर पारित किया गया है जिन मामलों का सुनवाई क्षेत्राधिकार कुटुम्ब न्यायालय को प्राप्त है।
- (6) न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति/निवर्तमान न्यायालय रिक्त होने की परिस्थिति में उपरोक्त वर्णित व्यवस्था के अलावा प्राधिकृत अधिकारी के उपलब्ध न होने पर सम्बंधित न्यायिक

अधिकारी के अत्यावश्यक कार्य संपादन मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

(7) यह आदेश ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश में भी लागू रहेगा, इस अवधि में सिविल कार्य हेतु विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं रहेगी, एवं न्यायाधीशगण आवश्यक सिविल कार्य निष्पादित करेंगे।

(8) व्यवहार नियम, 1958 के नियम 21(4) के अन्तर्गत समस्त पीठासीन अधिकारियों को अत्यावश्यक प्रकृति के सिविलवाद ग्रहण करने हेतु ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन अवकाश अवधि के लिये अधिकृत किया जाता है।

(श्रीमति शशिकान्ता वैश्य)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
डिण्डौरी (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक.....¹⁷/₁₈ / एक-11-01/2009,

डिण्डौरी, दिनांक 07/01/2026

प्रतिलिपि :-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर (म.प्र.)
2. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय डिण्डौरी (म.प्र.)
3. प्रथम/द्वितीय/तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी (म0प्र0)
4. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डिण्डौरी (म0प्र0)
5. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डिण्डौरी (म0प्र0)
6. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डिण्डौरी के प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डिण्डौरी (म0प्र0)
7. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शहपुरा, जिला डिण्डौरी
8. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शहपुरा के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शहपुरा
9. द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड डिण्डौरी
10. प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी डिण्डौरी (म0प्र0)
11. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी (म0प्र0)
12. केन्द्रीय पंजीयन, सह तलवाना अनुभाग जिला न्यायालय डिण्डौरी
13. अध्यक्ष अधिवक्ता संध, डिण्डौरी/शहपुरा (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग जिला न्यायालय डिण्डौरी की ओर कार्य विभाजन पत्रक जिला न्यायालय, डिण्डौरी की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
डिण्डौरी (म0प्र0)